न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 06/2013/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

उप स्वास्थ्य केन्द्र, वैध की ढ़ाणी जिला सीकर

अप्रार्थी

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांकः–27.01.2020**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम वेद की ढाणी के आराजी ख0नं0 432/1 रकबा 0.50 है0 किस्म गै.मु. की वर्तमान खातेदारी उप स्वास्थ्य केन्द्र, वैध की ढाणी के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम वेद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ की भूमि ख0नं0 432 रकबा 0.60 है0 किस्म गै0मु0 नाला खाता संख्या 1 में सम्वत 2059–62 में दर्ज रिकार्ड थी। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक/सम/7651–62 दिनांक 24.10.2002 से उक्त भूमि में से रकबा 0.50 है0 उप पशु चिकित्सालय भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र, वैध की ढाणी के नाम आवंटन कर दी गई। उक्त आदेश की पालना में उक्त भूमि उप पशु चिकित्सालय भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र, वैध की ढाणी के नाम नामान्तरकरण संख्या 93 आदेश दिनांक 13.12.2003 को खातेदारी दर्ज हुई। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन नदी/नाला/झील/ तालाब/ चारागाह/ जलाशयों की भूमि का आवंटन योग्य नहीं है। अतः तहसीलदार का आवंटन आदेश एवं ना0सं0 33, 53, 280, 27, 194, 213, 257 कानून की निगाह में अवैध एवं प्रभाव शून्य एवं कानून के विपरीत है। अतः उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 एवं सपठित राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के प्रावधान के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य एवं निरस्तनीय है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से राज्य सरकार को पैरा सं. 1 में उल्लेखित भूमि जो नदी/नाला/झील/तालाब/ जलाशयो/जलप्रवाह/जलस्थिर की भूमि दर्ज रिकार्ड थी जो पश्चातवर्ती भू–प्रबन्ध एवं भू– अभिलेख सहक्रियायें के तहत निजी खातेदारी/अन्यत्र दर्ज हो गई ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही कर ऐसी जलोढ गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन जलोढ भूमि दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः श्रीमान् माननीय उच्च न्यायालय के रिट संख्या 1536/03 में पारित आदेश के क्रियान्वयन में रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं अन्तर्गत धारा 232 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार के आवंटन आदेश व नाम0 संख्या 93 को निरस्त फरमाकर भूमि वादग्रस्त को सिवायचक गै0 मु0 नदी दर्ज करने के आदेश पारित करवायें।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 के मुताबिक आराजी खसरा

नम्बर 432 रकबा 0.60 है0 की खातेदारी नदी नाले (चारागाह हेतु) किस्म गै.मु.नाला दर्ज रिकार्ड अंकित है। नामान्तकरण संख्या 93 मुताबिक आवंटन आदेश के खसरा नम्बर 432 रकबा 0.60 है0 किस्म गै.मु.नाला में से 0.50 है0 भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र वैध की ढ़ाणी के नाम तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी उप स्वास्थ्य केन्द्र वैद की ढ़ाणी के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 के मुताबिक खसरा नम्बर 432 की खातेदारी नदी नाले (चारागाह हेतु) किस्म गै.मु.नाला के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। नामांतकरण संख्या 93 मुताबिक आवंटन आदेश के द्वारा खसरा नम्बर 432 रकबा 0.60 है0 में से 0.50 है0 भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र वैध की ढ़ाणी के नाम तस्दीक कर दिया गया एवं जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के मुताबिक उक्त खातेदारी उप स्वास्थ्य केन्द्र वैद की ढ़ाणी के नाम दर्ज कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजियात नदी नाले की है तथा किस्म गै.मु. नाला दर्ज है। जबकि गैर मुमकीन जोहड़, नदी, नाला, तालाब का धारा 16 आरटीएक्ट से प्रतिबंधित ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल राजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम वैद की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 0.60 है0 में से 0.50 है0 की नामान्तकरण संख्या 93 के द्वारा अप्रार्थी को दी गई खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/1/20

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2020.01.28 17:16:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: